

अध्याय II: मूल्यहास की अनुमति में प्रणालीगत मुद्दे

2.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) मूल्यहास की अनुमति से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से सम्बन्ध रखता है। हमें ऐसे मामले देखने में आए हैं जहाँ अपूर्ण, अस्पष्ट तथा द्विअर्थी होने पर अधिनियम के कुछ प्रावधानों के कारण निर्धारितियों को अभिप्रेत लाभ दिए गए थे। इसके कारण प्रतिकूल न्यायिक घोषणाएं भी हुई हैं। वर्तमान अध्याय मूल्यहास की अनुमति से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों से सम्बन्ध रखता है।

आयकर नियम, 1962 में यथा प्रावधानित विभिन्न परिसम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों के ब्लाक पर मूल्यहास की दरें उन्हीं परिसम्पत्तियों के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित दरों से भिन्न हैं। कर योग्य आय की गणना करते समय कम्पनी अधिनियम के अनुसार मूल्यहास अस्वीकृत करने के द्वारा और तब अधिनियम के अनुसार मूल्यहास स्वीकार कर अतिरिक्त प्रयास किए जाते हैं। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत त्वरित मूल्यहास किसी मानीटरन तन्त्र के अभाव में यथा अभिप्रेत संयंत्र तथा मशीनरी बदलने के लिए निधियों के संरक्षण की गारंटी नहीं करता है।

2.2 मूल्यहास की दरों का संगतीकरण

विभिन्न परिसम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के ब्लाक के लिए आयकर अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत निर्धारित मूल्यहास की दरें कम्पनी अधिनियम, 1956⁴ के अन्तर्गत निर्धारित दरों से भिन्न हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर परिकलित मूल्यहास व्यवसाय की सत्य लाभ अथवा हानि अथवा उत्पादन की सही लागत आदि निश्चित करने के लिए कम्पनी के लाभ तथा हानि लेखे को डेबिट किया जाता है और अन्ततः पूँजीगत परिसम्पत्तियों को बदलने के लिए उपलब्ध होता है।

यह न्याय निर्णीत⁵ है कि मूल्यहास उस मात्रा तक परिसम्पत्ति के मूल्य की भरपाई के लिए अनुमति किया जाता है जितना लेखाकरण की सुसंगत अवधि के दौरान इसका हास हुआ और क्योंकि उस मात्रा तक मूल्य कम हो गया है

⁴ कम्पनी अधिनियम, 1956 कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा बदला गया था परन्तु लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 प्रभावी था।

⁵ पी के बादियानी बनाम आयकर आयुक्त बाम्बे (1976) 45 सीसी 562

इसलिए मूल्यहास की सदृश अनुमति घटित होती है। सीबीडीटी ने भी स्पष्ट⁶ किया है कि इनके उपयोगी कार्यकाल की समाप्ति पर संयंत्र तथा मशीनरी को बदलने के लिए पर्याप्त निधियां सुरक्षित रखने के लिए उद्योग को समर्थ बनाने के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

केलकर कार्य बल⁷ ने अपनी रिपोर्ट (दिसम्बर 2002) में अन्य बातों के साथ सिफारिश की कि अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यहास दावे कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभ तथा हानि लेखे को प्रभारित दावों तक सीमित किया जाए। यह लाभ तथा हानि लेखे को प्रभारित मूल्यहास राशियों तथा कर प्रयोजनों हेतु दावित राशियों के बीच भिन्नता को कम करने के लिए अभिप्रेत था। यद्यपि सिफारिश नि.व. 07 से प्रभावी अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यहास की दरों में संशोधन के रूप में आंशिक रूप से लागू की गई थी परन्तु दो अधिनियमों के बीच असमानता जारी थी।

हमने कम्पनी अधिनियम के अनुसार लाभ तथा हानि लेखे को डेबिट मूल्यहास की तुलना में आईटीडी द्वारा अनुमत मूल्यहास पर विभिन्न प्रभारों से संकलित डाटा की तुलना की। तुलना से पता चला कि आयकर अधिनियम के अनुसार कुल ₹ 57,665.41 करोड़ तथा ₹ 11,754.80 करोड़ के अन्तर द्वारा क्रमशः मूल्यहास 6267 मामलों में उच्च था और 5926 मामलों में कम था। कम्पनी अधिनियम तथा आयकर अधिनियम दोनों के अनुसार 10,441 मामलों में अनुमत मूल्यहास बराबर था। दोनों अधिनियमों के अनुसार अनुमत मूल्यहास की तुलना में उनके बीच अन्तर के ब्यौरे परिशिष्ट 3क, परिशिष्ट 3ख तथा परिशिष्ट 3ग में दर्शाए गए हैं।

करयोग्य आय की गणना करते समय कम्पनी अधिनियम के अनुसार मूल्यहास अस्वीकृत करने और तब अधिनियम के अनुसार मूल्यहास अनुमत करने में अतिरिक्त प्रयास किए जाते हैं। इस शर्त कि विशेष परिसम्पत्ति को बदलने के लिए उपलब्ध लाभ तथा हानि लेखे में डेबिट अनुकूल राशि तक इसे सीमित किया जाता है, के साथ मूल्यहास प्रदान करने के उद्देश्यों से आयकर नियमों के अन्तर्गत निर्धारित दरों को समकालिक किए जाने की आवश्यकता है।

सीबीडीटी कम्पनी अधिनियम के अनुसार लागू मूल्यहास की दरों के अनुरूप अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यहास की दरों का प्रावधान करने पर विचार करे।

⁶ सीबीडीटी परिपत्र सं. 14/2001

⁷ 'कर ढांचे के यौक्तिकीकरण सहित प्रत्यक्ष कर सुधार' के अध्ययन के लिए भारत सरकार द्वारा गठित।

यदि मूल्यहास के रूप में कोई प्रोत्साहन अभिप्रेत है तो यह मूल्यहास के स्थान पर प्रोत्साहन के रूप में स्पष्टतया दिया जाए। आईटीडी इस प्रोत्साहन तन्त्र की प्रभावकारिता अभिनिश्चित करने के लिए इस मामले का लागत लाभ विश्लेषण करे और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत दरों के साथ मूल्यहास दरों को संगत करने का निर्णय करे।

आयकर अधिनियम, 1961 परिसम्पत्तियों के उपयोग पर आनुपातिक आधार पर मूल्यहास की अनुमति का प्रावधान नहीं करता है। इसके कारण अवधि, जिसके लिए परिसम्पत्ति उपयोग नहीं की गई थी, के लिए निर्धारिती को कटौती का अनभिप्रेत लाभ भिलता है।

2.3 अवधि, जब परिसम्पत्ति उपयोग नहीं की गई, के लिए मूल्यहास का अनभिप्रेत लाभ

अधिनियम की धारा 32 आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट 1 में निर्धारित दरों पर परिसम्पत्तियों के वास्तविक मूल्य अथवा अवलोकित मूल्य पर यदि परिसम्पत्ति 180 दिनों अथवा अधिक के लिए उपयोग की जाती है और सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान एक दिन अथवा अधिक परन्तु 180 दिनों से कम के लिए उपयोग की जाती है तो सामान्य दर के 50 प्रतिशत पर मूल्यहास का प्रावधान करती है।

परिशिष्ट 4 में दर्शाए अनुसार विभिन्न प्रभारों से 986 मामलों के संकलन से हमने पाया कि निर्धारितियों ने विभिन्न वित्त वर्षों में मार्च माह में ₹ 1,41,725.45 करोड़ की विभिन्न परिसम्पत्तियों की वृद्धि की और मार्च महीने में ही खरीदी जा रही परिसम्पत्तियों पर केवल मार्च माह के लिए आनुपातिक आधार पर ₹ 2,602.61 करोड़ के स्वीकार्य मूल्यहास के स्थान पर ₹ 15,617.86 करोड़ के मूल्यहास का दावा किया।

इसी प्रकार **परिशिष्ट 4क** में दर्शाए अनुसार 450 मामलों में विभिन्न वित्त वर्षों में सितम्बर माह में ₹ 31,621.10 करोड़ की वृद्धियां की गई थीं जिन पर पूर्ण वर्ष के लिए मूल्यहास अनुमत किया गया था।

इस प्रकार निर्धारिती ने उस अवधि, जिसमें परिसम्पत्ति का उपयोग नहीं किया गया था, के लिए भी कटौती का अनभिप्रेत लाभ प्राप्त किया था।

जबकि अधिनियम में उपयोग की वास्तविक अवधि (जैसा कम्पनी अधिनियम में निर्धारित किया गया) समानुपात में आनुपातिक आधार पर मूल्यहास अनुमति की कोई संकल्पना नहीं है परन्तु अधिनियम के प्रावधान उस अवधि

के लिए भी मूल्यहास दावा करने की अनुमति देते हैं जिसमें परिसम्पत्तियां न तो खरीदी गई थीं/उपयोग के लिए तैयार रखी गई थीं और न ही वास्तविक उपयोग में लाई गई थीं। परिणामस्वरूप मूल्यहास अनुमति को कम करने और करयोग्य लाभों को बढ़ाने के लिए अधिनियम को संशोधित करने का प्रयोजन पूर्णतया अप्राप्त रहा क्योंकि 50 प्रतिशत पर मूल्यहास की अनुमति के साथ अंसंगति अब भी विद्यमान है यदि परिसम्पत्ति सुसंगत पूर्व वर्ष के अन्तिम दिन भी खरीदी जाती है और केवल एक दिन के लिए उपयोग में लाई जाती है।

सीबीडीटी इस शर्त पर कि सामान्य मूल्यहास के 50 प्रतिशत पर मूल्यहास तभी अनुमति किया जाय जब परिसम्पत्ति एक निश्चित निर्धारित अवधि के लिए उपयोग की जाती है, के अध्यधीन सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों के उपयोग के आधार पर आधिनियम में आनुपातिक आधार पर मूल्यहास का प्रावधान करने पर विचार करें।

कानून में द्विअर्थता तथा विरोधाभासी न्यायिक निर्णयों, जो कर राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालते थे, के कारण धर्मार्थ/धार्मिक न्यास तथा व्यक्तियों के संघ के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास की अनुमति में विसंगतियां थीं।

2.4 धर्मार्थ/धार्मिक न्यासों तथा व्यक्तियों के संघ के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास की अनुमति में असंगतियां

अधिनियम की धारा 11 कतिपय शर्तों के अध्यधीन धारित सम्पत्ति से आय के संबंध में धर्मार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजनों हेतु प्रयोग में लाई गई अथवा संचित ऐसी आय की सीमा तक धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यास को छूट का प्रावधान करती है। सीबीडीटी ने स्पष्ट⁸ किया है कि ऐसी छूट के प्रयोजन हेतु न्यास की आय वाणिज्यिक अर्थ में ली जानी है और अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संगणित के रूप में नहीं। दूसरे शब्दों में आय जो छूट के योग्य आय वह है जो लेखा बहियों के अनुसार निर्धारित की गई है।

जबकि बम्बई⁹, पंजाब तथा हरियाणा¹⁰ तथा दिल्ली¹¹ उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि मूल्यहास ऐसे मामलों, जहाँ पूँजीगत व्यय धर्मार्थ प्रयोजनों हेतु आय के उपयोग के रूप में अनुमति किया गया था, में भी कटौती के रूप

⁸ सीबीडीटी परिपत्र दिनांक 19 जून 1968

⁹ सीआईटी बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग परसनल सलेक्शन (264 आईटीआर 110)

¹⁰ सीआईटी बनाम बाजार समिति पिपली (330 आईटीआर 16)

¹¹ डीआईटी बनाम विश्व जागृति मिशन (73 डीटीआर (दिल्ली) 195)

में स्वीकार्य होगा वहीं केरल उच्च न्यायालय¹² ने निर्णय करते हुए प्रतिकूल विचार दिया था कि ऐसा मूल्यहास शीर्ष न्यायालय के निर्णय¹³ कि कराधान के सामान्य सिद्धान्तों के अन्तर्गत दोहरी कटौती अभिप्रेत नहीं थी जब तक स्पष्टतया स्पष्ट न किया गया हो, के मध्येनजर न्यास की आय जैसी लेखाबहियों से प्रकट हुई, को वापस जोड़ा जाना चाहिए।

कर्नाटक प्रभार में कानून/न्यायालय निर्णयों का न्यासों/व्यक्तियों के संघ के निर्धारण के दौरान समान रूप से नहीं अपनाया गया था। जबकि कुछ एओज ने आय के उपयोग के रूप में पहले ही अनुमत परिसम्पत्तियों की लागत पर मूल्यहास दावों को अस्वीकृत कर दिया वहीं अन्य ने विविध न्यायिक निर्णयों (अपीलीय/न्यायाधिकरण आदेशों सहित) के बल पर निर्धारितियों के मूल्यहास दावों को अनुमत किया। इस प्रतिवेदन का 'कर से पूर्णतया मुक्त आय के प्रति मूल्यहास का अनियमित दावा' पर पैरा 3.15 भी दोहरी कटौतियों के ऐसे मामलों का वर्णन करता है।

समर्थकारी प्रावधानों के अभाव तथा समान मामलों पर प्रायः विरोधाभासी न्यायिक निर्णयों ने कर राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था जैसा धर्मार्थ/धार्मिक न्यासों के मामले में आय के उपयोग के प्रति परिसम्पत्तियों पर पूँजीगत व्यय के अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति में देखा गया।

कानून में द्विअर्थता तथा धर्मार्थ न्यासों के निर्धारण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के उपयोग पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा लिए गए विरोधाभासी आधार को सुलझाए जाने की आवश्यकता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या न्यासों को मूल्यहास अनुमत किया जाना है अथवा नहीं। 'धर्मार्थ न्यासों तथा संस्थाओं को छूटें' पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 2013 की सं. 20 के 'मूल्यहास की अनुमति में असंगतियां' पर पैरा 5.2 के तहत पहले ही उल्लिखित किए जा चुके इस मुद्दे को मंत्रालय से स्पष्ट करने की अभी भी अपेक्षा की जाती है।

¹² लिजी मेडिकल इण्डस्ट्रीज बनाम सीआईटी (76 डीटीआर (केरल) 372)

¹³ एस्कोर्ट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (199 आईटीआर 43)

अधिनियम में नि.व. 03 और आगे के लिए अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार नि.व. 98 से नि.व. 02 तक के लिए अनवशोषित मूल्यहास के अग्रेनयन तथा समंजन के कारण विरोधाभासी न्यायिक निर्णय हुए थे। यह मामला अभी तक निपटाया नहीं गया है।

2.5 अनवशोषित मूल्यहास का गलत समंजन

नि.व. 98 से नि.व. 02 तक यथा लागू धारा 32(2) के अनुसार अनवशोषित मूल्यहास केवल आठ वर्षों की अवधि के लिए अग्रेनीत तथा व्यवसाय आय के प्रति समंजित किया जा सकता था। नि.व. 98 से पूर्व अवधि से सम्बन्धित अग्रानीत अनवशोषित मूल्यहास, यदि कोई हो, नि.व. 98 के अनवशोषित मूल्यहास के साथ संकलित किया जाना था और नि.व. 98 के अनवशोषित मूल्यहास के रूप में माना जाना अपेक्षित था। नि.व. 03 से धारा 32(2) अनिश्चित अवधि के लिए अनवशोषित मूल्यहास का अग्रेनयन तथा समंजन अनुमत करने के लिए संशोधित की गई थी।

डीसीआईटी बनाम टाइम्स गारंटी के मामले में आईटीएटी, मुम्बई स्पेशल ब्रांच ने माना कि नि.व. 98 से नि.व. 02 तक का अनवशोषित मूल्यहास नि.व. 03 में धारा 32(2) के संशोधन द्वारा दी गई राहत का पात्र नहीं है और केवल व्यवसाय आय के प्रति और केवल आठ वर्ष के लिए समंजित किया जा सकेगा। तथापि, गुजरात उच्च न्यायालय ने जनरल मोटर्स इण्डिया प्रा.लि. बनाम डीसीआईटी 2010 टैक्समेन 20 (गुजरात) के मामले में व्यवस्था दी है कि 01 अप्रैल 2002 को निर्धारिती को उपलब्ध कोई अनवशोषित मूल्यहास पर वित्त अधिनियम 2001 द्वारा यथासंशोधित धारा 32(2) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात उच्च न्यायालय की व्यवस्था ने संविधि बनाई है कि अनवशोषित मूल्यहास का अग्रेनयन तथा समंजन से सम्बन्धित नि.व. 98 से नि.व. 02 तक की अवधि के दौरान विद्यमानता अनावश्यक तथा अस्तित्व हीन है। तथापि उपर्युक्त मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय आईटीडी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था जिसने उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए कि कानून का प्रश्न खुला रखा गया है, 11 मार्च 2013 को एसएलपी को खारिज कर दिया है।

मामला अभी तक निपटाया नहीं गया है। डीसीआईटी बनाम टाइम्स गारंटी के मामले में आईटीएटी, मुम्बई स्पेशल ब्रांच और जनरल मोटर्स इण्डिया प्रा.लि. के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया आधार लागू होना जारी रहेगा।

सीबीडीटी नि.व. 98 से नि.व. 02 तक की अवधि से सम्बन्धित अनवशोषित मूल्यहास के अग्रेनयन तथा समंजन से संबंधित अधिनियम की धारा 32(2) की प्रयोज्यता को स्पष्ट करे कि क्या मूल्यहास 8 वर्षों से आगे समंजन हेतु अग्रेनीत किया जाना है अथवा नहीं।

2.6 सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि

क. मंत्रालय अधिनियम के अंतर्गत मूल्यहास की दरों का कम्पनी अधिनियम के अनुसार लागू मूल्यहास की दरों के अनुरूप प्रावधान करने पर विचार करे।

मंत्रालय ने बताया (मई 2014) कि कम्पनी अधिनियम सामान्यतया परिसम्पत्तियों के अनुमानित कार्य काल तथा अवशिष्ट मूल्य के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर मूल्यहास का प्रावधान करता है। तथापि आयकर अधिनियम निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ विशिष्ट परिसम्पत्तियों की अवलोकित मूल्य पद्धति पर सामान्यतया मूल्यहास का प्रावधान करता है। आईटी (छटवां संशोधन) नियम 2005 के तहत अनुमानित कार्यकाल तथा वर्षों से आयकर की दरों में क्रमिक कमी को ध्यान में रखकर पात्र परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यहास की दरों को यौकितकीकृत किया गया है। इसके अलावा कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मूल्यहास की दरें कम्पनी द्वारा अर्जित वाणिजिक लाभ की सही राशि अभिनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु हैं जबकि आयकर अधिनियम त्वरित मूल्यहास की दरें निर्धारित करता है जो निश्चित सैकटरों /क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण आदि में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए वाणिजिक मूल्यहास की अपेक्षा अधिक है। चूंकि नीतिगत उद्देश्य अलग हैं इसलिए कम्पनी अधिनियम के अनुसार आयकर अधिनियम के अंतर्गत मूल्यहास की दर के सुयोजन का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है।

लेखापरीक्षा का मत है कि यद्यपि नीतिगत उद्देश्य भिन्न हैं परन्तु मूल्यहास प्रतिमानों की पूर्णरूपेण जांच करना और दो अधिनियमों के अंतर्गत दरों का सुयोजन करना जहाँ कहीं संभव हो, आवश्यक है क्योंकि विद्यमान प्रथा में लेखे के दो भिन्न सेट तैयार करना अंतर्गत है और यह अपने विधिसमत कर राजस्व से राजकोष को भी बंचित करता है।

मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया (जून 2014) कि यदि मूल्यहास दरों कम्पनी अधिनियम से सुयोजित की जाती हैं तो आयकर प्रयोजनों हेतु मूल्यहास का अलग विवरण तैयार करने की आवश्यकता अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के कारण दूर नहीं होगी।

लेखापरीक्षा का मत है कि यदि मूल्यहास दरों का जितना अधिक सुयोजन किया जाता है तो मूल्यहास की गणना में त्रुटियों के अवसर उतने ही कम होंगे।

ख. मंत्रालय इस शर्त कि सामान्य मूल्यहास के 50 प्रतिशत पर मूल्यहास केवल तभी अनुमत किया जाय जब परिसम्पत्ति कम से कम एक निश्चित निर्धारित अवधि के लिए उपयोग की जाती है, के अध्यधीन सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों के उपयोग के आधार पर अधिनियम में आनुपातिक आधार पर मूल्यहास का प्रावधान करे।

मंत्रालय ने बताया (मई 2014) कि अधिनियम 50 प्रतिशत स्वीकार्य मूल्यहास का प्रावधान करता है जब परिसम्पत्ति 180 दिन से अधिक के लिए उपयोग नहीं की जाती है। वर्तमान प्रावधान प्रशासनिक रूप से मानीटर करने के लिए सामान्य तथा सरल है। इसके अलावा पूर्व वर्ष के अंत में खरीदी गई परिसम्पत्तियों पर 50 प्रतिशत मूल्यहास अनुमत करने का प्रावधान मालिकों में उसे बांटने के स्थान पर उत्पादक परिसम्पत्ति में अपनी आय का निवेश करने में करदाता को प्रोत्साहित करता है।

मंत्रालय ने आगे बताया (जून 2014) कि यदि मूल्यहास का दावा करने के लिए तीन महीनों की शर्त लगाई जाती है तो यह संभावना है कि वर्ष की अंतिम तिमाही में निर्धारिती अगले वर्ष के लिए परिसम्पत्तियों में निवेश स्थगित कर देंगे और यह देश की वृद्धि तथा विकास के लिए वाछनीय नहीं हो सकता है।

लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय की टिप्पणियां केवल कल्पनाओं पर आधारित हैं।

ग. मंत्रालय यह स्पष्ट करे कि क्या धर्मार्थ तथा धार्मिक न्यासों के मामले में उन पर आय के उपयोग के प्रति परिसम्पत्तियों पर पूँजीगत व्यय के अतिरिक्त मूल्यहास अनुमत किया जाना है।

मंत्रालय ने बताया (मई 2014) कि न्यास कराधान की योजना में सर्वप्रथम खर्चों की कटौती के बाद आय संगणित की जानी है और उसके बाद प्रयुक्त आय की मात्रा तक छूट दी जाती है। इसलिए इसमें दो पहलू-पहला कटौती तथा अन्य उपयोग की स्थिति शामिल है। न्यास का पूँजीगत व्यय आय का उपयोग है और ऐसे उपयोग की गई मात्रा तक प्रयुक्त राशि आय से निकाल दी जाती है। इसलिए यह दोहरी कटौती का मामला नहीं हो सकता है। इसके अन्वान न्यासों के कराधान से सम्बन्धित वर्तमान विधि की व्याख्या पर न्यायिक निर्णय विविध प्रकृति के हैं इसलिए परिसम्पत्तियों, जिनके लिए आय के उपयोग के रूप में राहत का दावा किया जाता है, के संबंध में न्यासों के मामले में मूल्यहास का दावा केवल तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब कानून विशेष रूप से संशोधित किया जाए।

लेखापरीक्षा का मत है कि दोहरी कटौती की संकल्पना और समान विषय पर न्यायपालिका के विरोधाभासी निर्णयों का परिहार करने के उद्देश्य से अधिनियम में अपेक्षित संशोधन करने के उद्देश्य से मंत्रालय कार्रवाई आरंभ करे।

मंत्रालय ने बताया (जून 2014) कि मामले की सीबीडीटी द्वारा जांच की जाएगी।

घ. सीबीडीटी नि.व. 98 से नि.व. 02 तक की अवधि से सम्बन्धित अनवशोधित मूल्यहास मोक के अग्रेनयन तथा समंजन से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 32(2) की प्रयोज्यता स्पष्ट करे।

मंत्रालय ने बताया (मई तथा जून 2014) कि मामला विभागीय विचार बनाने तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, करने के लिए केन्द्रीय तकनीकी समिति को भेजा गया है।

मंत्रालय का अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है।